~~हाजिर SDO सा० दौरे पर/अवकाशपर/~~
अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक
....30-7-19.......को पेश हो।

31/7/19 आज यह पत्रावली दि० 30/7/19 को अवकाश होने पर पेशी में ली गई। उभय पक्ष आगामी पेशी पर लिखित बहस प्रस्तुत करें। पत्रावली वास्ते लिखित बहस प्रस्तुत करने हेतु दि० 13/8/19 को पेश हो।

13/8/19 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित मौखिक बहस हुई। उभय वकील उभय पक्ष आगामी पेशी पर लिखित बहस पेश करें। पत्रावली वास्ते लिखित बहस दि० 27/8/19 को पेश हो।

27-8-19 पत्रावली पेश हुई प्रार्थी/ वकील उभय पक्ष
हाजिर SDO सा० ~~दौरे पर/अवकाशपर/~~
अन्य कार्य में व्यस्त है पत्रावली दिनांक
.....9-9-19.....को पेश हो।

09/09/19 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। उभय पक्ष उप० । प्रा० पत्र 251 (क) RTA प्रार्थी निरस्त किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
09/9/19
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– रामावतार कुमावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 136/2016 किस्म प्रकरण :– 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

1. श्रीमति मन्जूदेवी पत्नि श्री कृष्णलाल जाति जाट निवासी गांव बछरारा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

1. निशान्त सोनी पुत्र श्री रामकुमार सोनी जाति सोनी निवासी वार्ड संख्या 25/17 सूरतगढ़ तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)
2. राजस्थान सरकार जरिये भू–प्रतिनिधि तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–अप्रार्थीगण

उपस्थित :–
1. श्री राकेश मनचन्दा अभिभाषक, प्रार्थी
2. श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक, अप्रार्थी नं. 1
3. पैरोकार राज

::– निर्णय –:: दिनांक :– 09.09.2019

यह प्रकरण माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर की अदालत के निर्णय दिनांक 17.12.2015 के द्वारा पत्रावली रिमाण्ड होकर आने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर दोनो पक्षों के विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी के नाम खरीदशुदा खातेदारी भूमि रोही टिलांवाली तहसील सूरतगढ़ के खसरा नं. 6/6 में 6.325 है0 बारानी भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज होकर कब्जा काश्त में चली आ रही है।

वकील प्रार्थी का कहना है कि प्राथी को अपने खेत तक जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। इसिलये प्रार्थी अपने खेत तक जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम रोही टीलांवाली के खसरा नं. 6/8 की 2.373 है0 खातेदारी भूमि की पूर्वी दिशा में उत्तर से दक्षिण भाग में से होकर अपने खेत में आता है इसलिए अप्रार्थी नं. 1 के खातेदारी रकबा में से तीन

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

बिस्वा चौड़ा रास्ता स्वीकार किया जावे तथा प्रार्थी से डी.एल.सी. रेट से रकम जमा करवाई जावे या भूमि के बदले भूमि देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी नं. 1 न्यायालय में उपस्थित आया व प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी द्वारा दर्ज तथ्यों को इन्कार करते हुए कहा कि प्रार्थी अपने खेत तक जाने के लिए पक्की सड़क से होकर एक पुराना कदीमी रास्ता प्रार्थी के खेत से चिता हुआ जाता है इसलिये नये रास्ते की आवश्यकता नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

दोनो पक्षों को सुनकर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 21.09.2015 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.09.2015 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा मा0 राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर कैम्प सूरतगढ़ द्वारा इस अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.09.2015 को खारिज करते हुए अपने निर्णय दिनांक 17.12.2015 को पत्रावली रिमान्ड करते हुए निर्देश दिये की दोनों पक्षों को सुनकर पुनः निर्णय पारित किया जावें।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओं को दोहराया व कहा कि प्राथी को अपने खातेदारी खेत ग्राम टीलांवाली के खसरा संख्या 6/6 में 6.325 है0 बारानी खातेदारी भूमि तक जाने के लिए कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने लिये मंजूरशुदा रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि के चिपते हुए दक्षिण दिशा में ग्राम टिलांवाली की खसरा नं. 6/8 मे स्थित अप्रार्थी सं. 1 की खातेदारी भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 15 पुराना 63 नया के चिपते हुए स्थित है। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा प्रार्थी को मौका पर उसकी भूमि में चालू रास्ता में से गुजरने पर कई बार रोका जा चुका है। इसलिये प्रार्थी को अप्रार्थी नं. 1 के खातेदारी रकबा में से रास्ता स्वीकृत किया जावे व जितनी भूमि रास्तें में आती है उतनी भूमि की डी.एल.सी. रेट से रकम जमा करवाने के लिए तैयार है या भूमि के बदले भूमि प्रार्थी से अप्रार्थी को दिलवाई जावे। अप्रार्थी के विद्वान वकील ने अपनी प्रतिउत्तर बहस में कहा कि पिछले 50 वर्षो से पुराना आम रास्ता गांव टीलांवाली से ढ़ाढीयावाली व पदमपुरा गांव को जाने वाला रास्ता प्रार्थी के खेत से चिपता हुआ जाता है व यह रास्ता राष्ट्रीय राजमार्ग 15 हाल 63 से निकलकर दक्षिण पश्चिम में बहुत लम्बाई तक जाता है व प्रार्थी भी उसी रास्ते से आसानी से अपने खेत तक जाकर काश्त करता है। यह रास्ता प्रार्थी के खेत से भी बहुत आगे के काश्तकारों के खेतों तक जाता है। जिससे सारे काश्तकार आसानी से

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner

इस रास्ते से अपने खेतों तक काश्त करने के लिये आते जाते है। अप्रार्थी का खेत पक्की सड़क से चिपता हुआ है। इसलिये प्रार्थी भी चौड़ा रास्ता स्वीकार करवाकर पक्की सड़क से सीधा जुड़कर अपने खेत की कीमत बढ़ाना चाहता है। रास्ता किसी काश्तकार को सुविधा या लाभ देने के लिये नही होता है, रास्ता खेत तक जाने के लिए आवश्यकता के लिए होता है। प्रार्थी को पहले से ही वर्षो से अपने खेत में काश्त करने के लिए जाने आने की सुविधा प्राप्त है। उसी चालू रास्ते को रिकार्ड में स्वीकार करवाने के लिए प्रार्थी कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है। अतः प्रा0पत्र खारिज किया जावें।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई एवं रिकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251–क में काश्तकार को रास्ते की सुविधा अत्यन्त आवश्यकता के रूप में ही उपलब्ध करवाई जाती है, अपने लाभ व सुविधा के लिये नही। प्रार्थी जिस पुरानी कदीमी रास्ते से अपने खेत तक आता जाता है उसी रास्ते को स्वीकार करवाने के लिए वह कार्यवाही करने के लिए स्वतं है सुविधा व लाभ के लिए अलग से नया रास्ता स्वीकृत करने का कानूनी प्रावधान नही है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निरस्त किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 09.09.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

09/09/19

(रामावतार कुमावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Scanned by CamScanner